फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

सरकार बनाम पास 56 मासूबुर्फ

प्रोपर्टी - धारा - 177 नं. 07 सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/1/22 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 17/1/22 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	
17/1/22 पत्रावली पेश [illegible] नायिक कार्य [illegible] से पत्रावली दिनांक [illegible] तक पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	24/1/22
24/1/22 पत्रावली पेश [illegible] नायिक कार्य [illegible] से पत्रावली दिनांक [illegible] तक पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	31/1/22
31/1/22 पत्रावली पेश इई तहसीलदार - करेड़ा अनुपस्थित। प्रकरण में [illegible] को विचार [illegible] किन्तु कोई 370 [illegible] का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज [illegible] अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली के लिए कुमार लेकर उचित नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:40:56 IST
Reason: SelfAttested